राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमाक प.13(20) कार्मिक क–2 / 91(पार्ट) जयपुर, दिनांक 29.8.2011

1 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्रादेश

विषयः– अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय जनजातियों हेतु किए गये आरक्षण आदेशों की पालना सुनिश्चित करने बाबत्

इस विभाग की अधिसूचना प. 13(20) कार्मिक / क–2 / 91 पार्ट दिनांक 12.09.07 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रो में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओ के पदो पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियो के स्थानीय सदस्यों से भरने और इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तिया सामान्य वर्ग से भरे जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से दिशा निर्देश जारी करने के उपरान्त भी राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागाध्यक्षो / नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रो में नियमानुसार आरक्षण की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षो एवं नियुक्ति प्राधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विभागो म होने वाली सीधी भर्ती के समय कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशो की पालना सुनिश्चित करावें तथा आयुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर को रिक्तियां भरने की सूचना भी नियमित रुप से भिजवाये।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2 उप सचिव, मुख्य सचिव / निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
3 सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग अजमेर।
4 पंजीयक, राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर
5 रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

41/2011